राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ1.(10)परि/स्था/2023/10573 जयपुर, दिनांकः– 13-07-2023

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांकः 10093 दिनांक 04.07.2023 के क्रम में नव सृजित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर–द्वितीय में निम्नानुसार पदों के स्थानान्तरण एवं सृजन की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

(1) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर–द्वितीय कार्यालय हेतु बजट मद 2041–00–101–(04)–[01]

क्र. सं.	पदनाम	प्रा.प.का. जोधपुर–प्रथम के लिए स्वीकृत पदों में से स्थानान्तरित पद सं.			नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर–द्वितीय में नव सृजित पदों सहित कुल पदों की संख्या		
		स्वीकृत पद	नये कार्यालय में स्थानान्तरित पदों की संख्या	शेष पद	नव स्वीकृत पद	स्थानान्तरित पदों की संख्या	कुल पद
1.	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	01	–	01	01	–	01
2.	संयुक्त परिवहन आयुक्त (रिट्स)	01	–	01	–	–	–
3.	सहायक परिवहन आयुक्त सह अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	02	01	01	–	01	01
4.	जिला परिवहन अधिकारी	04	02	02	–	02	02
5.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	–	01	–	–	–
6.	प्रोग्रामर	01	–	01	–	–	–

7.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम	01	—	01	01	—	01
8.	संस्थापन अधिकारी	01	—	01	—	—	—
9.	मोटर वाहन निरीक्षक	16	08	08	—	08	08
10.	मोटर वाहन उप निरीक्षक	16	08	08	—	08	08
11.	अति. प्रशासनिक अधिकारी	01	—	01	01	—	01
12.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	04	02	02	—	02	02
13.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय	03	01	02	—	01	01
14.	कनिष्ठ लेखाकार	02	—	02	—	—	—
15.	सांख्यिकी निरीक्षक	01	—	01	01	—	01
16.	निजी सहायक ग्रेड द्वितीय	01	—	01	—	—	—
17.	वरिष्ठ सहायक	03	01	02	—	01	01
18.	सूचना सहायक	15	07	08	—	07	07
19.	कनिष्ठ सहायक	08	04	04	—	04	04
20.	सहायक प्रोग्रामर	04	02	02	—	02	02
21.	वाहन चालक	15	07	08	—	07	07
22.	सहायक कर्मचारी	07	06 (REXCOसे)	07	—	06 (REXCO से)	06 (REXCO से)
योग		108	43	65	04	43	47

1. वर्तमान में संचालित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर–प्रथम में स्वीकृत 08 उड़नदस्तों में से 04 उडनदस्ते नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर–द्वितीय में स्थानान्तरित किये जाते हैं।
2. वर्तमान में संचालित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर–प्रथम में 04 उड़नदस्तों के लिए पूर्व में वाहनों के लिए दी गई स्वीकृति को भी निरस्त किया जाता है।
3. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर–द्वितीय के लिए 06 सहायक कर्मचारियों की सेवायें REXCO से लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. नव सृजित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर–द्वितीय के लिए 08 सुरक्षा गार्ड उडनदस्तों के लिए एवं 05 (01 सुरक्षा अधिकारी सहित) सुरक्षा गार्ड कार्यालय के लिए कुल 13 सुरक्षा गार्ड्स लेने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. उड़नदस्तों हेतु गार्ड्स REXCO/Homegrads के माध्यम से लेने की सहमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि कार्यालय उक्त गार्ड्स संविदा पर तभी अनुबंधित किया जाना सुनिश्चित करेगा जब उक्त स्वीकृत उड़नदस्ते प्रवर्तन कार्य हेतु सक्रिय होंगे।
6. नव सृजित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर द्वितीय हेतु किराये के 05 वाहनों (01 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के लिये, 04 उडनदस्तों के लिए, राशि रू. 34900/– प्रतिमाह एवं 2200 किमी प्रतिमाह की सीमा में) की स्वीकृति लेखामद 2041–00–101(01)–[00]–36 वाहन किराये में प्रदान की जाती है।
7. उक्त वाहन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(4)/FD/SPFC/2017 दिनांक 05.04.2022 एवं RTPP Act, 2012 एवं Rules 2013 के अध्यधीन इस शर्त पर स्वीकृत किये जाते हैं कि कार्यालय द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी का पद रिक्त होने एवं उड़नदस्ता निष्क्रिय होने की स्थिति में वाहन अनुबंधित नहीं किये जायेंगे।
8. नव सृजित कार्यालय को विभागीय भवन उपलब्ध होने तक किराये के भवन में संचालित करने की सहमति प्रदान की जाती है। कार्यालय हेतु नियमानुसार भवन किराये पर लेने की कार्यवाही प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर द्वितीय द्वारा की जावेगी।
9. प्रस्तावित कार्यालय के संचालन/स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत बजट मद 2041–00–101–(04)[01] में उपलब्ध राशि में से व्यय करने की सहमति दी जाती है। अति आवश्यक होने पर अतिरिक्त बजट राशि के प्रस्ताव यथासमय प्रस्तुत किये जायेंगे।
10. बजट मद 2041–00–101–(04)[01] के उप मद 36–वाहन किराये में राशि रू. 15.00लाख का अतिरिक्त बजट प्रावधान किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।
11. वित्त विभाग की उक्त स्वीकृत सहमति नव सृजित कार्यालय के गठन हेतु जारी अधिसूचना की दिनांक से प्रभावी होगी।
12. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई. डी. संख्या– 102301302 दिनांक 22.06.2023 के क्रम में जारी की जा रही है।

(कन्हैया लाल स्वामी)
परिवहन आयुक्त

क्रमांकः एफ1.(10)परि/स्था/2023/10574-93 जयपुर, दिनांकः– 13-07-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्यमंत्री महोदय, राज. सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, महालेखाकार, राजस्थान।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्यौगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
9. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
10. जिला कलक्टर, जोधपुर।
11. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) एवं संयुक्त शासन सचिव (मु.), राज., जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जोधपुर/जयपुर।
14. वित्तीय सलाहकार, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
15. समस्त अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
16. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ....
17. कोषाधिकारी, जोधपुर।
18. नोडल अधिकारी वेब साईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
19. लेखा/भुगतान शाखा दो प्रतियों में।
20. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
एवं संयुक्त शासन सचिव